सं.57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8361(1)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक: 20 अक्तूबर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय -:ऐसे कर्मचारियों को, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के का.ज्ञा. के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए विकल्प देने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों की बाबत पेंशन संबंधी नीतिगत मामलों का प्रशासित करता है। इस विभाग ने दिनांक 03.03.2023 के का.ज्ञा. सं. 57/05/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी) के निर्देशानुसार ऐसे केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 22.12.2003 से पूर्व, विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था, को केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया था। इस का.ज्ञा. के पैरा 7 के अनुसार, उस पद, जिसके लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, के नियुक्ति प्राधिकारी, इन निर्देशों की प्रयोज्यता की जांच करने और निर्णय लेने का उत्तरदायी है।

2. केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों, जो इन निर्देशों के जारी होने से पूर्व सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, पर दिनांक 03.03.2023 के उपरोक्त निर्देशों के लागू होने से संबंधित स्पष्टीकरण मांगने वाले संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं।

3. अतः, यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर, जो अन्यथा ओपीएस के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र हैं और जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, दिनांक 03.03.2023 के उपरोक्त का.ज्ञा. के लागू होने पर रोक नहीं है। चूंकि, इस मामले में, कर्मचारी पहले ही एनपीएस के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त कर चुका है, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के लिए, यदि वह पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र पाया जाता है, उसे एनपीएस के अंतर्गत सरकारी अंशदान और उस पर फायदे को सरकारी कर्मचारी द्वारा ब्याज सहित वापस करना अपेक्षित होगा।

(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)